T.N.G. Teachers' Training College, Harigaon
smt. P.M. Jena
Designation - Asst. Prof.
Dt-24/04/2021
Sub:- CC.6 (Gender, School & Society)
Course - B.Ed (first year, Session-2020-2022)
E. Content - "Equity and equality in relation with "Caste" & "Religion"

Gender equity is a group of activities, attitudes and assumptions which provides opportunities to people and give birth to aspirations. In a common defination of gender equity, it is never different from racial, caste, linguistic incapability, income and other differences. Gender equity points to providing a reform structure in which both man and woman participate on equal terms whatever the subject of concern.

* They get ready for future education, Service, Career and civil co-operation
* They possess high amitions for themselves and others and fulfill them too
* They develop as respected, productive individuals, friends, family members, workers and citizens.
* They realize equal behavioural norms and common goals in and outside of School.

* Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting

PTO

Sustainable development and building good governance.

* Role of Religion for Socialization :—

Many religious institutions also uphold gender norms and contribute to their enforcement through socialization. From ceremonial rites of passage that reinforce the family unit to power dynamics that reinforce gender roles, organized religion fosters a shared set of socialized values that are passed on through society.

* Caste :—

The caste system in the Hindu society is devided into four different classes, such as :-

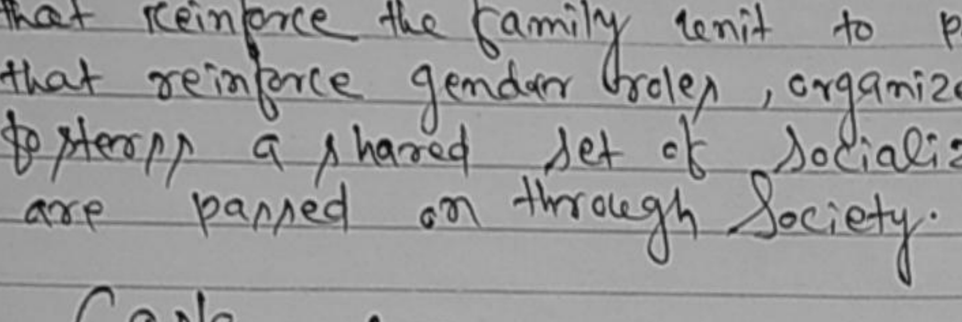


There is importance attached to same - Gotra to maintain caste - based system and intermarriage between different castes is not permitted. As the entire Hindu society is divided into four classes, women too are naturally divided into these classes, however the evil effect of caste system is evident only on women. As a group women are isolated from men and caste system further isolalates them. Thus the Indian society is not divided along caste, but also gender within the caste system.

24/09/2021

T.N.G. Teachers' Training College, Harigaon

smt. P.M. Jena Dt-24/04/2021

Designation- Asst. Prof.

Sub.- CC.6 (Gender, School & Society)

Course - B.Ed (first year, Session-2020-2022)

E. Content - Equity and equality in relation with "Caste" & "Religion"

## समाज तथा समाजीकरण में लिंग की भूमिका के सशक्तिकरण के साधन के रूप में जाति

समाज तथा समाजीकरण की प्रक्रिया में लिंग को सशक्त करने में जाति के कार्य तथा भूमिका भारतीय समाज के सन्दर्भ में अत्यधिक है। जातीय अवधारणा की जड़ें भारतीय समाज में दिन-प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। यद्यपि भारतीय संविधान में जाति के आधार पर भेदभाव और अस्पृश्यता की समाप्ति कर समतामूलक समाज की स्थापना की है। परन्तु आज भी जातिगत आधार पर ऊँच-नीच की भावना चरम पर है। उच्च समझी जाने वाली जातियाँ निम्न जातियों का शोषण करती हैं, उनकी स्त्रियों का अपमान करती हैं, आर्थिक संसाधनों, समाज और समाजीकरण की प्रक्रिया पर अपना एकाधिकार समझकर उनको आगे आने के अवसर प्रदान नहीं करती है। आज भी जातियों में निम्न जातियाँ तथा इनमें भी स्त्रियों की दशा बदतर है। अतः समाज में इनको बराबरी का अधिकार मिले, शिक्षा मिले, यह सम्भव नहीं हो पा रहा है जिससे ये स्त्रियाँ कूपमण्डूक बनी रह जाती हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी शोषण की परिपाटी चलती रहती है और इनका समाजीकरण अत्यन्त संकीर्ण होता है जिससे इनकी दशा में अपेक्षित सुधार नहीं आ पा रहे हैं। यह विदित है कि जातियों का उसके व्यक्तियों पर प्रभाव तथा नियन्त्रण होता है और यदि जातियाँ कृतसंकल्पित होकर आयें तो समाज और समाजीकरण में लिंगीय सशक्तिकरण को बढ़ावा प्रदान कर सकती हैं। समाज तथा समाजीकरा में लिंगीय सशक्तिकरण हेतु जाति के कार्य तथा भूमिकायें निम्न प्रकार हैं :

1. जाति के आधार पर तथा उन जातियों में भी लिंगीय आधार पर स्त्रियों की उपेक्षा तथा भेदभाव की समाप्ति का संकल्प लेना।

2. संगठित होकर बालिका शिक्षा के लिए विद्यालयों तथा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना।

3. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं समूहों का निर्माण।

4. महिलाओं को समाज और समाजीकरण की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाने के अवसर प्रदान करने के लिए जातियों द्वारा उन्हें उद्योग-धन्धों तथा व्यापार में संलग्न करना।

5. महिलाओं से सम्बन्धित सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाओं की सफलता में सहायता करके।

6. प्रौढ़ शिक्षा को अपनाकर जातियों द्वारा लैंगिक भूमिका के सशक्तिकरण तथा समाजीकरण के दायित्व की पूर्ति की जानी चाहिए।

7. जातियों को चाहिए कि वे घर तथा बाहर महिलाओं को निर्णय लेने, उत्तरदायित्व सँभालने की छूट दे जिससे वे सशक्त तथा सामाजिक बनेंगी।

## प्रभाविता हेतु सुझाव
## (Suggestions for Influencing)

जाति वर्तमान में सामाजिक स्तरीकरण के साथ-साथ सामाजिक नियन्त्रण में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। जातियों के अपने अलग-अलग रीति-रिवाज, मान्यतायें तथा परम्परायें होती हैं। बन्द जातियों में तथा निम्न जातियों में महिलाओं की स्थिति शोचनीय है। अतः जातियों को अपनी चतुर्दिक उन्नति के लिए महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना चाहिए जिससे उनका समाजीकरण अन्यों की भाँति हो सके और वे लैंगिक सुदृढ़ता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। जाति को प्रभावी समाज के निर्माण, समाजीकरा की प्रक्रिया में लैंगिक सुदृढ़ता की सुनिश्चितता हेतु सुझाव निम्न प्रकार दिये जा सकते हैं :

1. न्याय।

2. कर्म की महत्ता।

3. आर्थिक एकाधिकारों की समाप्ति।

4. स्त्रियों के महत्व से समाज को अवगत कराकर।

5. स्त्रियाँ सभ्य समाज की नींव है। आज की बेटियाँ ही भावी पत्नी तथा मातायें हैं। अतः घर-परिवार के विकास के लिए इनकी सुदृढ़ता आवश्यक है और जातीय परम्पराओं तथा संस्कृतियों के हस्तान्तरण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अतः इनकी सुदृढ़ता हेतु प्रयास करना।

इस प्रकार जाति की लिंगीय सुदृढ़ता और समाजीकरण में भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परन्तु जातिगत तत्वों को नकारात्मक विषयों की अपेक्षा सकारात्मक विषयों की ओर मोड़ना चाहिए।

## समाज तथा समाजीकरण में लिंग की भूमिका धर्म के सन्दर्भ में
## (Role of gender in society and socialization for reference to religion)

समाज तथा समाजीकरण में लिंगीय सुदृढ़ता और भूमिका धर्म के सन्दर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। भारतीय समाज धर्मानुप्राणित समाज है। यहाँ धर्म का क्षेत्र इतना व्यापक

है कि मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन तथा व्यवहार इसकी परिधि में आ जाता है। धर्म से तात्पर्य निम्न प्रकार है–

1. **शाब्दिक अर्थ :** धर्म शब्द संस्कृत की 'धृ' से निष्पन्न है जिसका अर्थ है–
   * धारण करना,
   * बनाये रखना तथा
   * पुष्ट करना।

धर्म हेतु आंग्ल भाषा में 'Religion' शब्द का प्रयोग किया गया है जो लैटिन के दो शब्दों 'Re' तथा 'Legere' से निष्पन्न हैं, जिसका अर्थ होता है–'सम्बन्ध स्थापित करना' (To Bind Back)।

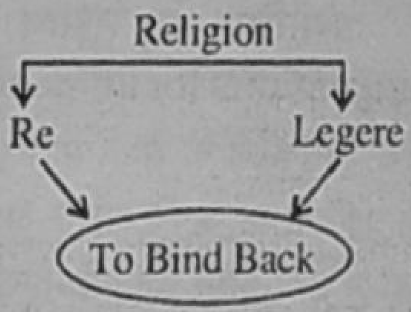


स्थापित करना

इस प्रकार 'रिलीजन' से तात्पर्य है–"ईश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित करना। यह सम्बन्ध मनुष्य का मनुष्य तथा ईश्वर के साथ है।"

गिस्बर्ट महोदय का इस विषय में कथन है कि "धर्म दोहरा सम्बन्ध स्थापित करता है। पहला मनुष्य और ईश्वर के मध्य तथा दूसरा मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य ईश्वर की सन्तान के रूप में।"

"Religion establishes a double bond one between man God and the other between man as children of God."

**2. संकुचित अर्थ :** संकुचित अर्थ में धर्म से तात्पर्य है किसी धर्म विशेष के प्रति श्रद्धा, जिसमें धर्म के बाह्य तत्वों--टीका लगाना, माला फेरना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, गिरिजाघर एवं गुरुद्वारे इत्यादि जाना जाता है।

**3. परिभाषीय अर्थ :** धर्म के अर्थ के और अधिक स्पष्टीकरण हेतु कुछ परिभाषायें निम्न प्रकार हैं :

भगवद्पुराण में धर्म के छः लक्षण, महर्षि नारद ने धर्म के तीस लक्षण तथा मनु ने धर्म के दस लक्षणों के विषय में बताया–

"धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धी विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्॥"[^]

धर्म की व्यापकता के विषय में महाभारत में आया है–

"धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्म कुधर्म तत्।
अविरोधात् तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम ॥"

धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है और पशुता से ऊपर उठाने का कार्य करता है–

"आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य ये तत्पशुभिर्नरणाम्।
धर्मोहितेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः॥"

पाश्चात्य विद्वानों ने धर्म के विषय में निरूपण इस प्रकार किया है :

काण्ट के अनुसार–"धर्म का सार मूल्यों के धारण करने में विश्वास को कहते हैं।"

एडम्स के अनुसार–"आकाशगंगा के सृष्टा एवं शासन के प्रति शक्ति और जीवों के प्रति मेरा प्रेम ही मेरा धर्म है।"

काण्ट के अनुसार–"धर्म से अभिप्राय है दैवीय अनुदेशों के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना।"

"Religion is the recognisation of all our duties as devine commandments."

डासन के अनुसार–"जब कहीं और जहाँ कहीं मनुष्य बाह्य शक्तियों पर निर्भरता का अनुभव करता है जो रहस्यपूर्ण और मनुष्य की शक्तियों से कहीं अधिक उच्चतम मानी जाती है, वही धर्म होता है।"

"Whenever and wherver man has a sense of dependence on external powers which are conceived as mystenous and highest than man's own, there is religion."

ए. एन. ह्वाइटेड के अनुसार–"धर्म एक ऐसे तत्व का दर्शन है जो हमारे बाहर, पीछे तथा भीतर है।"

"Religion is a vision of something which stands beyond and within."

हेराल्ड डोफलिंग के अनुसार–"धर्म का सार मूल्यों के धारण करने में विश्वास को कहते हैं।"

"The essence of religion is faith in the conversation of values."

गिस्बर्ट के अनुसार–"धर्म परमात्मा या देवताओं के प्रति जिनके ऊपर मनुष्य अपने को निर्भर करता है, गतिशील विश्वास और आत्म-समर्पण है।"

"Religion is that dynamic belief in and submission to God or to Gods on whom man feels dependent."

किलपैट्रिक के अनुसार–"धर्म एक सांस्कृतिक प्रतिकृति है जो अलौकिक अथवा असाधारण से उस प्रकार के सम्बन्ध रखता है जैसे कि उन विशिष्ट व्यक्ति द्वारा समझे जाते हैं जो कि उसमें अलिप्त है।"

"Religion is a cultural, pattorn based on relations of the supernatural or opetraordinary, as conceived by particular people involved."

**4. विविधि धर्मों की दृष्टि में धर्म :** विभिन्न धर्मों के अनुसार धर्म निम्न प्रकार है-

**(i) हिन्दू धर्म :** वेदों में धर्म का अर्थ धार्मिक विधियों से लिया गया है। यहाँ धर्म वह मापदण्ड है जो मूल तत्व को स्थापित तथा स्थायित्व प्रदान करता है। **तैत्तिरीयोपनिषद्** में धर्म के द्वारा व्यक्ति के आचरण के सम्पादन का अर्थ लिया गया है। **पूर्वमीमांसा** में धर्म की विवेचना ऐसे तत्व के रूप में की गयी है जो प्रेरणा प्रदान करता है। **'धारणाद् धर्म इति आहु, धर्मो धारित प्रजा'** अर्थात् जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। इस प्रकार यहाँ धर्म से तात्पर्य नित्य प्रति किये जाने वाले अनुशासित व्यवहार से भी है।

**(ii) ईसाई धर्म :** ईसाई धर्म के अनुसार धर्म से तात्पर्य ऐसे उपादान से है जो कि समस्त व्यक्तियों को प्रेम, त्याग, दया, क्षमा, सहानुभूति, कर्त्तव्यों तथा अधिकारों को बाँट देता है।

**(iii) इस्लाम धर्म :** इस्लाम शब्द का अर्थ ही है शान्तिपूर्वक ईश्वर के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देना। यहाँ धर्म से तात्पर्य सभी मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा इस्लाम क़ी शिक्षाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करने से है।

**5. धर्म के व्यापक अर्थ :** धर्म से तात्पर्य केवल धर्म विशेष के प्रति श्रद्धा रखना, माथे पर तिलक लगाना, श्लोकों का उच्चारण करना, जाप करना, माला फेरना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, टोपी लगाना, गिरिजाघर जाकर मोमबत्ती जलाना, धार्मिक ग्रन्थों का पाठ करना या ईश वन्दना करना मात्र नहीं है क्योंकि धर्म अपने व्यापक अर्थ में मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर या गुरुद्वारे तक सीमित न होकर उससे कहीं विस्तृत है। धर्म जीवन जीने की पद्धति से सम्बन्धित है जो दिन-प्रतिदिन के कार्यों में पालन किया जाना चाहिए। धर्म वे सभी उत्कृष्ट आदर्श तथा विचार है जिनसे जीवन व्यतीत किया जाता है। धर्म जीवन के उन्नत मूल्य है। धर्म परमात्मा के मार्ग पर चलने और उससे साक्षात्कार करने की प्रक्रिया है। मानवता की सेवा, समाज की सेवा, चराचर करना भी धर्म है। इस प्रकार धर्म से तात्पर्य किसी स्थल विशेष पर जाकर पूजा या दुआ करने से न धर्म व्यक्ति का समग्र जीवन ही है। मनुष्य ही नहीं, सम्पूर्ण चराचर जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। अतः प्रत्येक कण में उसका रूप देखना, दया और प्रेम का व्यवहार करना ही वास्तविक धर्म है।

## धर्म के कार्य
## (Functions of Religion)

धर्म के क्षेत्र (scope) के अन्तर्गत व्यापक अर्थों में मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन ही आ जाता है और धर्म हम जो खुली आँखों से नहीं देख सकते वह भी है। धर्म के कार्य निम्न प्रकार है–

धर्म के कार्य :
- शैक्षणिक कार्य
- सांस्कृतिक कार्य
- मानव जीवन के उन्नयन का कार्य
- मानवता, प्रेम तथा सहयोग का कार्य
- सर्व धर्म समभाव का कार्य
- भेदभावों की समाप्ति का कार्य

## धर्म की उपयोगिता तथा महत्त्व
## (Utility and importance of religion)

हमारा समाज धर्मानुप्राणित समाज है परन्तु इस विषय में प्रशन उठता है कि धर्म की मानव जीवन तथा विश्व के लिए क्या उपयोगिता है? धर्म के जैसा कि हम पूर्व में भी जान चुके हैं कि अनेक कार्य हैं। इसी धर्म उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। धर्म की उपयोगिता मनुष्य, जीव-जन्तु इत्या सभी के हित के लिए है। धर्म की उपयोगिता तथा महत्व को हम निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत देख सकते हैं :

धर्म की उपयोगिता तथा महत्व
- सामाजिक हितों हेतु
- आर्थिक गतिशीलता हेतु
- मनुष्य को शान्ति तथा अध्यातम ज्ञान प्रदान करने हेतु
- पवित्र जीवन की तैयारी हेतु
- मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा हेतु
- पाप तथा असत्य आदि के विनाश हेतु
- विश्व शान्ति तथा सहयोग की स्थापना में महात्वपूर्ण

## समाज तथा समाजीकरण में लिग कीं भूमिका के सशक्तिकरण के साधन के रूप में धर्म के कार्य तथा भूमिका

धर्म का प्रभाव भारतीय जनमानस पर प्राचीन काल से ही आत्यधिक रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में दैनिक महत्व के कार्यों, पर्यावरण रक्षा, जीव-जन्तुओं की रक्षा आदि के कार्यों को भी धर्म से ही जोड़ दिया गया जिससे हमारी प्रकृति तथा जैव-विविधता (Bio-diversity) संरक्षित होती रहे। धर्म अपनी इस लम्बी यात्रा मे अब दूषित रूप में हामरे समक्ष दिखता है । यह धर्म का वास्तविक रूप नहीं है। कोई भी धर्म सबसे पहले मानवता और प्रेम सिखाता है। धर्म के नाम पर तमाम अन्धविश्वास, रूढ़ियाँ और मनुष्यों का खून बहाया जा रहा है, परन्तु धर्म यदि अपने मूल रूप में आ जाये तो यह पापियों का नाशक होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसा ही उपदेश अर्जुन को दिया–

"यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः।
परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥
अहं संभवामि युगे-युगे ॥"

अपने समाजमें व्याप्त कुरीतियों में से ही एक है–लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभावों में एक भूमिका स्त्रियों के विषय में नकारात्मक धार्मिक विचारों की रही है जिसको बढ़ा-चढ़ाकर धर्म के ठेकेदारों ने अपने ओछे स्वार्थों की सिद्धि हेतु प्रयुक्त किया है परन्तु धर्म तथा उसके पहरेदार और मतावलम्बी चाह लें तो धार्मिक बुराइयाँ जड़ से समाप्त हो जायेंगी। स्त्रियों के साथ होने वाले दोयम दर्जे के व्यवहार को भी धर्म अपनी सशक्त भूमिका द्वारा समाप्त कर सकता है। धर्म स्त्रियों को प्रोत्साहित कर समाज तथा समाजीकरण की प्रक्रिया में आने के लिए प्रेरित कर सकता है। धार्मिक प्रावधान कर सकता है जिसका व्यापक प्रभाव होगा। धर्म की लैंगिक सुदृढ़ता, समाज में लिंगीय भेदभाव कम करने तथा बालिकाओं की समाजीकरण की गति तीव्र करने में भूमिका तथा कार्य निम्न प्रकार हैं–

1. धर्म को अपने मूल स्वरूप तथा मूल स्रोतों की ओर अग्रसर होना, जिससे धर्म में आई विसंगतियों को दूर किया जा सके।

2. धर्म को चाहिए कि वह अपने सभी नागरिकों का चारित्रिक विकास तथा नैतिक विकास करे जिससे वे स्त्रियों को समुचित स्थान और आदर प्रदान कर सके। इससे स्त्रियों का सामाजिक सम्मान, सामाजिक आदान-प्रदान और सशक्तिकरण बनेगा।

3. स्त्रियों के प्रति यदि कोई व्यक्ति अनादर या अभद्र व्यवहार करता है तो धर्म में सख्त नियम तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान होना चाहिये। धर्म के इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य से लोगों पर अंकुश रहेगा।

4. स्त्रियों को समुचित आदर और सम्मान जो लोग प्रदान नहीं करते हैं उन्हें धर्म बहिष्कृत किया जाना चाहिए इससे स्त्रियों का सशक्तिकरण होगा।

5. धर्म को चाहिए कि वह स्त्रियों के आदर्श चरित्र और कार्यों को सम्मुख रखकर लैंगिक सुदृढ़ता का कार्य करे।

## समाज तथा समाजीकरण में लिंग की भूमिका
## सशक्तिकरण के साधन के रूप में धर्म की प्रभावित हेतु सुझाव

समाज तथा समाजीकरण में लिंगीय भूमिका के सशक्तिकरण हेतु धर्म को निम्न सुझावों को अपनाना चाहिए जिससे स्वस्थ लैंगिक और सामाजिक परिवेश का निर्माण ही सके :

1. धर्म को अपने संसाधनों का प्रयोग बालिका शिक्षा तथा उसकी उन्नति के लिए किया जाना चाहिए।

2. धर्म को अभेदपूर्ण व्यवहार करके मानव मात्र की सेवा का दृष्टिकोण जाग्रत करना चाहिए।

3. धर्म लिंगीय सुदृढ़ता और समाजीकरण में तभी सार्थक भूमिका निभा पायेगा जब इसकी पहल वह कुरीतियों तथा अन्धविश्वासों का बहिष्कार करके करे।

4. सभी धर्मों तथा संस्कृतियों का आदर, जिससे लैंगिक भेदभावों की समाप्ति के साथ-साथ आपसी समझ का विस्तार।

## समाज तथा समाजीकरण में लिंग की भूमिका के सशक्तिकरण के साधन के रूप में धर्म की प्रभाविता में सुधार हेतु सुझाव

समाज तथा समाजीकरण में लिंग की भूमिका के सशक्तिकरण हेतु धर्म की प्रभाविता हेतु कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं–

1. बालिका शिक्षा की विशेष व्यवस्था।

2. धर्मगुरुओं को चाहिए कि वे शिक्षा और समानता का प्रसार करना। अपना सर्वप्रमुख धर्म समझें, इससे लैंगिकता हेतु समझ का विकास होगा।

3. धर्म को लैंगिकता की शिक्षा का प्रभावी उपकरण बनाने हेतु उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे लैंगिक सुदृढ़ता में वृद्धि हो सके।

4. धर्म को लैंगिक सुदृढ़ीकरण तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा की स्थापना और समाजीकरण की गति की तीव्रता हेतु परिवार, विद्यालय, समाज, समुदाय तथा राज्य आदि अभिकरणों से सहयोग प्राप्त कर लैंगिक भेदभावों की समाप्ति का प्रयास करना चाहिए।

5. धार्मिक उत्सवों में अथाह पैसा खर्च हो जाता है। अतः प्रत्येक धर्म को चाहिए कि इन क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय में कटौती करके उसे स्त्री शिक्षा तथा सशक्तिकरण हेतु लगाना चाहिए।